Workshops on Recent Environmental Laws, ASHA – Awareness, Support, Help and Action & Naari Ki Udaan

Under the aegis of National Legal Services Authority & Jharkhand State Legal Services Authority, the District Legal Services Authority, Dhanbad organized workshops, legal awareness camps, camps at educational institutions, outreach activities, camps at community centres and promotion in digital platforms on Green Verdicts: A comprehensive Digest of Recent Environmental Law Cases., NALSA (ASHA- Awareness, Support, Help and Action) towards Eliminating Child Marriage, 2025 and Booklet on Naari ki Udaan : Bandishon Se Azadi Tak throughout the month of June, 2025.

The pictorial glimpses and paper cuttings are as follows :

PICTORIAL GLIMPSES

Under the aegis of
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY, NEW DELHI
and
Jharkhand State Legal Services Authority, Ranchi,
District Legal Services Authority, Dhanbad
Organizes
WORKSHOP ON
GREEN VERDICTS : Recent Environmental Law Cases
NALSA (ASHA-Awareness, Support, Help and Action) Eliminating Child Marriage, 2025
and
नारी की उड़ान : बंदिशों से आज़ादी तक
SRI MAYANK TUSHAR TOPNO
Secretary
DLSA
Dhanbad
SRI PRABHAT KUMAR
Member
Sr. Superintendent of Police
Dhanbad
SRI ADITYA RANJAN
Vice Chairman
Deputy Commissioner
Dhanbad
SRI VIRENDRA KUMAR TIWARI
Chairman
Principal District & Sessions Judge
Dhanbad
CONTACT : 0326-239 6048, NALSA TOLL FREE NO.15100

विधिक जागरूकता शिविर

SERVICES AUTHORITY, DHANBAD
जागरूकता शिविर

विधिक

प्राधिकार, धनबाद
रूकता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, धनबाद
District Legal Service Authority, Dhanbad

जो कहते हैं वो करते हैं
PRINCESS

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, धनबाद

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, धनबाद
में आपका स्वागत है।
(न्याय सबके लिए)
न्याय सबके लिए
न्याय सबके लिए
बाल विवाह, लिंग आधारित
हिंसा एवं भेद भाव के खिलाफ

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, धनबाद
District Legal Service Authority, Dhanbad
विधिक जागरूकता शिविर
बाल विवाह, लिंग आधारित
हिंसा एवं भेद भाव के खिलाफ
कार्यरत किशोरी लीडर्स का क्षमता वर्धन के लिए
Exposure visits
दिनांक - 30/05/2025
स्थान -जिला प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय, धनबाद
आयोजक - झारखण्ड ग्रामीण विकास ट्रस्ट धनबाद
Call : 9234461629
www.jgvtdhanbad.org.in

बाल विवाह केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक बड़ा अपराध है : न्यायाधीश मयंक

बाल विवाह रोकथाम के लिए आशा अभियान की हुई शुरूआत

नई पत्र वार्ता प्रतिनिधि

धनबाद : बाल विवाह एक सामाजिक पाप है, जो हमारी भावी पीढ़ियों की नींव को हिला देता है. बाल विवाह को कई लोग आज भी परंपरा, संस्कार या सामाजिक जिम्मेदारी मानते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक कुप्रथा है यह एक ऐसा घाव जो बच्चों के जीवन को अपूर्ण बना देता है. भारतीय कानून के अनुसार, लड़कियों की न्यूनतम वैवाहिक आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई है. यदि कोई इससे पहले विवाह करता है, तो वह न केवल कानून तोड़ता है, बल्कि एक बच्चे का बचपन, उसका भविष्य और उसके सपनों को भी तोड़ता है.उपरोक्त बातें शुक्रवार को सिविल कोर्ट धनबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के फील्ड लीडर, कोऑर्डिनेटर एवं डलसा के पारा लिगल वॉलंटियर को संबोधित करते हुए कही.वहीं

एलएडीसीएस के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है. हर माता-पिता, हर जागरूक नागरिक को यह समझना होगा कि बाल विवाह रोकना केवल कानून का नहीं, समाज की अंतरात्मा का भी प्रश्न है. हमें लड़कियों को बोझ नहीं, बल्कि सशक्त, और जुझारू बनाना होगा. शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान से ही समाज की बेटियां आगे बढ़ेंगी.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोकारो सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन सह झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के निदेशक शंकर रवानी ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है. इसमें दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुमार्ना हो सकता है. पीड़ित को संरक्षण, शिक्षा और पुनर्वास का अधिकार है.

कोई भी नागरिक बाल विवाह की सूचना बाल संरक्षण अधिकारी या पुलिस को दे सकता है.यह उनकी कानूनी और नैतिक जिम्मेवारी है.कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव डलसा मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि नालसा द्वारा आशा अभियान लॉन्च किया गया है,जिसके तहत धनबाद जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायत में बाल विवाह रोकथाम एवं इस कुरीतियों से पीड़ित किशोर एवं किशोरियों का कौशल विकास कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य डलसा की टीम कर रही है. जिसमें झारखंड विकास ग्रामीण ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर रवानी एवं उनकी टीम डलसा की टीम के साथ जुड़कर इस अभियान को सार्थक बनाने में अपना अहम योगदान दे रही है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) द्वारा आशा अभियान लॉन्च किया गया है.

अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया जा रहा है, इसमें कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश , डलसा सचिव , जिला समाज कल्याण पदाधिकारी , एडीएम लॉ एंड ऑर्डर , जिला शिक्षा पदाधिकारी , मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, एसडीपीओ धनबाद, जिला कल्याण पदाधिकारी , जिला बाल सुरक्षा पदाधिकारी , विशेष किशोर पुलिस इकाई , चीफ एलएडीसीएस , पैनल अधिवक्ता , अधिकार मित्र विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता फैलाएं. इस रीति से पीड़ित बच्चियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे. इस मौके पर एलएडीसीएस चीफ कुमार विमलेंदु, डालसा सहायक सौरभ सरकार ,संतोष कुमार ,राजेश सिंह चंदन कुमार, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट की किशोरी लीडर पूजा कुमारी, चंदा कुमारी, दीपा रवानी ,जुबेदा खातून ,ज्योति कुमारी, गुलनाथ वानो, गुलशन बानो, शीतल कुमारी, नूरी प्रवीन, शिवानी कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, तन्नु कुमारी, अनमोल कुमारी , खुशी कुमारी ,संतोषी कुमारी वंदना कुमारी, कविता कुमारी, फील्ड कोऑर्डिनेटर माला देवी, पूजा कुमारी, सीता कुमारी, व डालसा के पैरा लीगल वॉलंटियर उपस्थित थे.

बाल विवाह, केवल परंपरा नहीं बल्कि अपराध है: न्यायाधीश मयंक

बाल विवाह रोकथाम के लिये आशा अभियान की हुई शुरुआत

प्रात: आवाज

धनबाद । बाल विवाह एक सामाजिक पाप है, जो हमारी भावी पीढ़ियों की नीव को हिला देता है। यह एक कुप्रथा है यह एक ऐसा घाव जो बच्चें के जीवन को अपूर्ण बना देता है। भारतीय कानून के अनुसार, लड़कियों की न्यूनतम वैवाहिक आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई है यदि कोई इससे पहले विवाह करता है, तो वह न केवल कानून तोड़ता है, बल्कि एक बच्चे का बचपन, उसका भविष्य और उसके सपनों को भी तोड़ता है।

उपरेक्त बातें शुक्रवार को सिविल कोर्ट धनबाद में अयोजित एक कर्यक्रम में अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के फील्ड लीडर, कोऑर्डिनेटर एवं डलसा के पारा लिगल वॉलंटियर को संबोधित करते हुए कही। वहीं एलएडीसीएस के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट नेकार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायकेवल अदालतों तक सीमित नहीं है। हर

मता-पिता, हर जागरूक नागरिक को यह समझना होगा कि बाल विवाह रोकना केवल कानून का नहीं, समाज की अंतरात्मा का भी प्रश्न है। हमें लड़कियों को बोझ नहीं, बल्कि सशक्त, और जुझारू बनाना होगा। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान से ही समाजकी बेटियां आगे बढ़ेंगी। कार्यक्रम को बोकारो सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन सह झारखंडग्रामीण विकास ट्रस्ट के निदेशक शंकर रवानी ने भी संबोधित किया। अवरन्यायाधीश सह सचिव डलस मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि नलसा द्वारा आश अभियान लॉन्च किया गया है जिसके तहत धनबाद जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायत में बाल विवाह रोकथाम एव इस कुरीतियों से पीड़ित किशोर एवं किशोरियों का कौशल विकास कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य डलसा की टीम कर रही है। अभियान के क्रियान्वयन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया जा रहा है, इसमें कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, डलसा सचिव, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, एसडीपीओ धनबाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला बाल सुरक्षा पदाधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चीफ एलएडीसीएस, पैनल अधिवक्ता, अधिकार मित्र विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता फैलाएंगे हुआ। इस मौके पर एलएडीसीएस चीफ कुमार त्रिमलेंदु, डलसा सहायक सौरभ सरकार, संतोष कुमार, राजेश सिंह, चंदन कुमार, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट कि किशोरी लीडर पूजा कुमारी, चंदा कुमारी, दीपा रवानी ,जुबेदा खातून ,ज्योति कुमारी, गुलनाथ वानो, गुलशन बानो, शीतल कुमारी, नूरी प्रवीन, शिवानी कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, तन्नु कुमारी, अनमोल कुमारी, खुशी कुमारी, संतोषी कुमारी, वंदना कुमारी, कविता कुमारी, फील्ड कोऑर्डिनेटर माला देवी, पूजा कुमारी, सीता कुमारी व डलसा के पैरालीगल वॉलंटियर उपस्थित थे।

जेजीवीटी की टीम अधिकारियों से मिली, बाल विवाह समेत अन्य विषयों पर हुई चर्चा

आवाज 7 डेज़

धनबाद: झारखण्ड ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा बाल विवाह उन्मूलन और जेंडर हिंसा के खिलाफ गठित किशोरी मण्डल के लीडर्स के क्षमता वर्धन के लिए एक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। इस दौरान किशोरी लीडर्स ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा), जिला समाज कल्याण विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, और चाइल्ड लाइन जैसे विभागों का भ्रमण किया। झारखण्ड ग्रामीण विकास ट्रस्ट ने इन विभागों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर बाल विवाह, बाल यौन हिंसा, और

अन्य संबंधित मुद्दों पर चलाए जा रहे अपने कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अवर न्यायाधीश मयंक तुसार टॉपनो ने किशोरी लीडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। उन्होंने सभी से मिलकर बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया।

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने किशोरी लीडर्स को बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी और उनके द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी साधना कुमारी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की सदस्य पूनम सिंह, और चाइल्ड लाइन की समन्वयक स्मिता कुमारी ने बाल संरक्षण और बाल अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। किशोरी लीडर्स को विभिन्न विभागों, विशेष रूप से चाइल्ड लाइन और महिला हेल्पलाइन, का भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुईं।

कार्यक्रम में झारखण्ड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के निदेशक शंकर रवानी, कोषाध्यक्ष विनोद महतो, प्रोजेक्ट समन्वयक सीता कुमारी, पूजा कुमारी, चंदा कुमारी, दीपा कुमारी, माला देवी, गुलनाज बानो, और 30 किशोरी लीडर्स शामिल थे।

बाल विवाह: केवल परंपरा नहीं, अपराध है : न्यायाधीश

बाल विवाह रोकथाम के लिये आशा अभियान की हुई शुरूआत

उत्कल मेल संवाददाता

धनबाद : बाल विवाह एक सामाजिक पाप है, जो हमारी भावी पीढ़ियों की नींव को हिला देता है। बाल विवाह को कई लोग आज भी परंपरा, संस्कार या सामाजिक जिम्मेदारी मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक कुप्रथा है यह एक ऐसा घाव जो बच्चों के जीवन को अपूर्ण बना देता है। भारतीय कानून के अनुसार, लड़कियों की न्यूनतम वैवाहिक आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि कोई इससे पहले विवाह करता है, तो वह न केवल कानून तोड़ता है, बल्कि एक बच्चे का बचपन, उसका भविष्य और उसके सपनों को भी तोड़ता है। उपरोक्त बातें शुक्रवार को सिविल कोर्ट धनबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के फील्ड लीडर, कोऑर्डिनेटर एवं डालसा के पारा लिगल वॉलंटियर को संबोधित करते हुए कही।वहीं एलएडीसीएस के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है। हर माता-पिता, हर जागरूक नागरिक को यह समझना होगा कि बाल विवाह रोकना केवल कानून का नहीं, समाज की अंतरात्मा का भी प्रश्न है. हमें लड़कियों को बोझ नहीं, बल्कि सशक्त, और जुझारू बनाना होगा। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान से ही समाज की बेटियाँ आगे बढ़ेंगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोकारो सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन सह झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के निदेशक शंकर रवानी ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।पीड़ित को संरक्षण, शिक्षा और पुनर्वास का अधिकार है। कोई भी नागरिक बाल विवाह की सूचना बाल संरक्षण अधिकारी या पुलिस को दे सकता है। यह उनकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है. कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि नालसा द्वारा आशा अभियान लॉन्च किया गया है जिसके तहत धनबाद जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायत में बाल विवाह रोकथाम एवं इस कुरीतियों से पीड़ित किशोर एवं किशोरियों का कौशल विकास कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य डालसा की टीम कर रही है जिसमें झारखंड विकास ग्रामीण ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर रवानी एवं उनकी टीम डालसा की टीम के साथ जुड़कर इस अभियान को सार्थक बनाने में अपना अहम योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) द्वारा आशा अभियान लॉन्च किया गया है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया जा रहा है इसमें कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, डालसा सचिव, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, एसडीपीओ धनबाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला बाल सुरक्षा पदाधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चीफ एलएडीसीएस, पैनल अधिवक्ता, अधिकार मित्र विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता फैलाएगी हुआ। इस रीति से पीड़ित बच्चियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगी इस मौके पर एलएडीसीएस चीफ कुमार बिमलेंदु, डालसा सहायक सौरभ सरकार, संतोष कुमार ,राजेश सिंह चंदन कुमार, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट कि किशोरी लीडर पूजा कुमारी, चंदा कुमारी, दीपा रवानी, जुबेदा खातून, ज्योति कुमारी, गुलनाज़ खानें, गुलशन खानें, शीतल कुमारी, नूरी प्रवीन, शिवानी कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, तन्नु कुमारी, अनमोल कुमारी, खुशी कुमारी, संतोषी कुमारी वंदना कुमारी, कविता कुमारी, फील्ड कोऑर्डिनेटर माला देवी, पूजा कुमारी, सीता कुमारी, व डालसा के पैरालीगल वॉलंटियर उपस्थित थे।

बाल विवाह व पर्यावरण कानून की अलख जगाने अब घर-घर पहुंचेंगे पारा लीगल वॉलंटियर

धनबाद (एप्र)। बाल विवाह महिलाओं के विकास में रुकावट है, वहीं पर्यावरण की रक्षा भावी पीढ़ियों की सुरक्षा है। और इन सभी की नींव रखती है कानूनी साक्षरता और संवैधानिक चेतना . उपरोक्त बातें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट में आयोजित कार्यशाला में पारा लीगल वॉलेंटियन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता एलडीसीएस की टीम को संबोधित करते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव्स जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुसार टोपनों ने कही. कार्यशाला को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि हमें गाँव गाँव जाकर लोगों को यह संकल्प दिलाना होगा कि , न किसी बालिका का बचपन छीना जाएगा,न कोई स्त्री अपने अधिकारों से वंचित रहेगी,और न प्रकृति के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जो अक्सर समाज की चुप्पी और परंपरा के नाम पर होने वाले समझौतों के कारण पनपता है। जरूरत है कि हम पंचायत, स्कूल, और आंगनवाड़ी स्तर पर कानूनी जागरूकता बढ़ाएं .वहीं पर्यावरण संरक्षण पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबका दायित्व है।पर्यावरण संरक्षण अब केवल एक नारा नहीं, एक कानूनी और नैतिक अनिवार्यता है। भारत में महिलाओं को शक्ति और संस्कृति का प्रतीक माना गया है, परंतु व्यवहार में उन्हें शोषण, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा।

समाज की चुप्पी से छिन जाता है लड़कियों का बचपन : न्यायाधीश

- सिविल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की कार्यशाला आयोजित
- बाल विवाह व पर्यावरण कानून की जानकारी देने घर-घर जायेंगे पारा लीगल वॉलंटियर

विधि प्रतिनिधि, धनबाद

बाल विवाह महिलाओं के विकास में रुकावट है. वहीं पर्यावरण की रक्षा भावी पीढ़ियों की सुरक्षा है. इन सभी की नींव रखती है कानूनी साक्षरता और संवैधानिक चेतना. उक्त बातें अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुसार टोपनों ने कही. वह प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. मौके पर पारा लीगल वॉलेंटियर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता एलडीसीएस की टीम को संबोधित करते न्यायाधीश ने कहा कि हमें गांव गांव जाकर लोगों को यह संकल्प दिलाना होगा कि न किसी बालिका का बचपन छीना जाएगा, न कोई स्त्री अपने अधिकारों से वंचित रहेगी और न ही प्रकृति के साथ अन्याय होगा. उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जो अक्सर समाज की चुप्पी और परंपरा के नाम पर होने वाले समझौतों के कारण पनपता है. जरूरत है कि हम पंचायत, स्कूल, और आंगनबाड़ी स्तर पर कानूनी जागरूकता बढ़ायें.

मासिक लोक अदालत में 100 वादों का निबटारा किया गया : झालसा के तत्वावधान में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार वीरेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को मासिक लोक अदालत लगायी गयी. अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि मासिक लोक अदालत में कुल आठ बेंच गठित कर 100 वादों का निबटारा किया गया. इस दौरान कुल पांच लाख 71 हजार 5 सौ 33 रुपये रिकवरी हुई. इसमें अधिकतम रेलवे वाद से संबंधित 62 मामलों का निबटारा किया गया.

बाल विवाह केवल परंपरा नहीं, अपराध है : न्यायाधीश मयंक

धनबाद (कासं) : बाल विवाह एक सामाजिक पाप है, जो हमारी भावी पीढ़ियों की नींव को हिला देता है। बाल विवाह को कई लोग आज भी परंपरा, संस्कार या सामाजिक जिम्मेदारी मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक कुप्रथा है यह एक ऐसा घाव है जो बच्चों के जीवन को अपूर्ण बना देता है। भारतीय कानून के अनुसार, लड़कियों की न्यूनतम वैवाहिक आयु १८ वर्ष और लड़कों की २१ वर्ष निर्धारित की गई है। यदि कोई इससे पहले विवाह करता है, तो वह न केवल कानून तोड़ता है, बल्कि एक बच्चे का बचपन, उसका भविष्य और उसके सपनों को भी तोड़ता है।

उपरोक्त बातें शुक्रवार को सिविल कोर्ट धनबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के फील्ड लीडर, कोऑर्डिनेटर एवं डालसा के पारा लिगल वॉलंटियर को संबोधित करते हुए कही। वहीं एलएडीसीएस के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है। हर माता-पिता, हर जागरूक नागरिक को यह समझना होगा कि बाल विवाह रोकना केवल कानून का नहीं, समाज की अंतरात्मा का भी प्रश्न है। हमें लड़कियों को बोझ नहीं, बल्कि सशक्त, और जुझारू बनाना होगा। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान से ही समाज की बेटियां आगे बढ़ेंगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोकारो सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन सह झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के निदेशक शंकर रवानी ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, २००६ के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक की सज़ा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पीड़ित को संरक्षण, शिक्षा और पुनर्वास का अधिकार है।

कोई भी नागरिक बाल विवाह की सूचना बाल संरक्षण अधिकारी या पुलिस को दे सकता है। यह उनकी कानूनी और नैतिक जिम्मेवारी है। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि नालसा द्वारा आशा अभियान लॉन्च किया गया है, जिसके तहत धनबाद जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायत में बाल विवाह रोकथाम एवं इस कुरीतियों से पीड़ित किशोर एवं किशोरियों का कौशल विकास कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य डालसा की टीम कर रही है, जिसमें झारखंड विकास ग्रामीण ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर रवानी एवं उनकी टीम डालसा की टीम के साथ जुड़कर इस अभियान को सार्थक बनाने में अपना अहम योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) द्वारा आशा अभियान लॉन्च किया गया है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया जा रहा है, इसमें कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, डालसा सचिव, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, एसडीपीओ धनबाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला बाल सुरक्षा पदाधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चीफ एलएडीसीएस, पैनल अधिवक्ता, अधिकार मित्र विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता फैलाएंगे। इस रीति से पीड़ित बच्चियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे इस मौके पर एलएडीसीएस चीफ कुमार विमलेंदु, डालसा सहायक सौरभ सरकार, संतोष कुमार, राजेश सिंह चंदन कुमार, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट की किशोरी लीडर पूजा कुमारी, चंदा कुमारी, दीपा रवानी, जुबेदा खातून, ज्योति कुमारी, गुलनाथ बानो, गुलशन बानो, शीतल कुमारी, नूरी प्रवीन, शिवानी कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, तनु कुमारी, अनमोल कुमारी, खुशी कुमारी, संतोषी कुमारी वंदना कुमारी, कविता कुमारी, फील्ड कोऑर्डिनेटर माला देवी, पूजा कुमारी, सीता कुमारी व डालसा के पैरालीगल वॉलंटियर उपस्थित थे।

Para Legal Volunteers to Spread Legal Awareness Against Child Marriage and Promote Environmental Laws

Sneha Chourasia

Dhanbad : In a major step toward legal empowerment and environmental consciousness, Para Legal Volunteers (PLVs) of the District Legal Services Authority (DLSA), Dhanbad, will now go door-to-door in villages and urban areas to spread awareness on issues like child marriage, women's rights, and environmental protection.

This initiative was launched during a legal literacy workshop held at the Civil Court, Dhanbad, on Saturday. The session was conducted under the direction of the Chief District and Sessions Judge, and was addressed by Sub Judge cum DLSA Secretary Mayank Tusar Topno.

Speaking at the event, Judge Topno emphasized, "Child marriage robs a girl of her childhood and opportunities. Environmental protection, on the other hand, ensures a better future for the next generation. The backbone of both these causes is legal awareness."

He urged PLVs to ensure that no girl is deprived of her rights, no woman is subjected to injustice, and no compromise is made with nature. He pointed out that many child marriages happen in silence or are defended in the name of tradition. Only grassroots legal education can break this harmful cycle.

He also underlined that environmental responsibility isn't just a government concern—it's a collective legal and moral duty. "Environmental protection has moved beyond slogans. It is a legal requirement," he added.

Speaking about women's rights, he stated: "In our culture, women are worshipped as symbols of power and grace, yet they continue to face exploitation and violence. Women don't need sympathy or protection—they need awareness of their legal rights and access to justice."

Dr. Kumar Vimalendu (Chief, LEDCS) and Assistant Suman Pathak also trained the panel advocates and Para Legal Volunteers on the legal provisions regarding child marriage and environmental laws.

The workshop concluded with a pledge by all present to uphold the legal and constitutional rights of women and to take active steps in preserving the environment.

बाल विवाह व पर्यावरण कानून कि अलख जगाने पारा लीगल वॉलंटियर अब पहुंचेंगे घर घर

जब एक स्त्री अपने अधिकारों को जानती है, तभी वह अत्याचार को चुनौती दे पाती है: न्यायाधीश

राष्ट्रीय मुख्यधाराः राजीव रंजन

धनबादः बाल विवाह महिलाओं के विकास में रुकावट है, वहीं पर्यावरण की रक्षा भावी पीढ़ियों की सुरक्षा है। और इन सभी की नींव रखती है कानूनी साक्षरता और संवैधानिक चेतना। उपरोक्त बातें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट में आयोजित कार्यशाला में पारा लीगल वॉलेंटियन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता एलडीसीएस की टीम को संबोधित करते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुसार टोपनों ने कही। कार्यशाला को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि हमें गाँव गाँव जाकर लोगों को यह संकल्प दिलाना होगा कि, न किसी बालिका का बचपन छीना जाएगा,न कोई स्त्री अपने अधिकारों से वंचित रहेगी और न प्रकृति के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जो अक्सर समाज की चुप्पी और परंपरा के नाम पर होने वाले समझौतों के कारण पनपता है। ज़रूरत है कि हम पंचायत, स्कूल, और आंगनवाड़ी स्तर पर कानूनी जागरूकता बढ़ाएं। वहीं पर्यावरण संरक्षण पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबका दायित्व है। पर्यावरण संरक्षण अब केवल एक नारा नहीं, एक कानूनी और नैतिक अनिवार्यता है। भारत में महिलाओं को शक्ति और संस्कृति का प्रतीक माना गया है, परंतु व्यवहार में उन्हें शोषण, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा। इसलिए आवश्यकता हुई कि कानून द्वारा उन्हें सुरक्षा, समानता और सम्मान प्रदान किया जाए जब एक स्त्री अपने अधिकारों को जानती है, तभी वह अत्याचार को चुनौती दे पाती है। आइए, हम सब यह संकल्प लें नारी को ना दया की ज़रूरत है, न सुरक्षा की भीख की उसे चाहिए बस कानून का ज्ञान और न्याय की पहुंच।